# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

**पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.**

अनवान -

1. मनोहर सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी चक 11 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

....वादी.....

बनाम

1. बजरंग सिंह पुत्र श्री श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी मझाऊ पोस्ट ऑफिस मझाऊ तहसील उदयपुर वाटी जिला झुन्झुनू।
2. केसर सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी चक 11 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. शीला कँवर पत्नी श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी चक 11 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. किरण कँवर पुत्री श्री बजरंग सिंह पत्नी श्री संदीप सिंह जाति राजपूत निवासी न्याँगली तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)

.....प्रतिवादीगण.....

उपस्थित :- 1. श्री प्रवीन चुघ, विजय जसूजा वकील वादी
2. श्री गुरमिन्द्र सिंह मोमी वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4
3. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

**(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी.)**

**प्रकरण संख्या - 72/2018** **निर्णय दिनांक -31/01/2019**

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी/वादी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुझ प्रार्थी ने एक वाद पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अनवानी प्रकरण मनोहर सिंह बनाम बजरंग सिंह आदि श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें प्रकरण संख्या 9/17 प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व अप्रार्थी संखय 3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन ईकबाल जवाब पेश किया। वाद पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 के ससुर श्योदान सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह की है जो कि वाके चक 11 बी.एल.डी. मु.नं.28 प.नं. 211/404 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है. तथा मु.नं. 29 प.नं. 210/404 के किला नं. 1 ता 25 की 5.959 है. कुल 12.284 है. कृषि भूमि थी। श्योदान सिंह की मृत्यु सन् 2007 में होन के पश्चात् उक्त भूमि श्योदान सिंह के वारिसों में बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकॉर्ड में बराबर बराबर अलमदरामद हो चुका है। श्योदान सिंह के वारिसों में बजरंग सिंह यानि प्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा में मु.नं. 28 प.नं. 211/404 किला नं. 1 ता 10 व 15/2 यानि कुल 2.6310 है. व मु.नं. 29 प.नं. 210/404 का किला नं. 1/4 का 0.1330 है. उक्त दोनों कृषि भूमि का कुल 2.7640 है. कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी सहित अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का

लगातार.....2

जिला कलेक्टर
विजयनगर

Scanned by CamScanner

प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि आता है एवं अपना अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु श्रीमान न्यायालय में एक वाद पत्र अनवानी मनोहर सिंह बजरंग सिंह आदि पेश किया गया था जिसकी अनुतोष में सहवन से प्रार्थी स्वयं का 1/4 हिस्सा लिखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा की मांग करना रह गया था एवं इसी अनुसार श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 29/01/2018 को निर्णय पारित कर दिया था जबकि उक्त सम्पति विरास्तन होने के कारण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थी निर्णय दिनांक 29/01/2018 का पुनर्विलोकन करवाना चाहता है ताकि प्रत्येक प्रार्थी का हिस्सा निहित किया जा सके। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई इसके समर्थन में धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमानजी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/01/2018 का पुनर्विलोकन करने का आदेश प्रदान करे।

यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी. पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/01/2018 का भी अवलोकन किया गया। मूल वाद पत्र में वादी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह विवादित भूमि में अपने स्वयं का 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित करने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में अनुतोष में सहवन से प्रार्थी स्वयं का 1/4 हिस्सा लिखा गया है। वादी ने वाद पत्र दिनांक 14/02/2017 को न्यायालय में पेश किया था। एवं दिनांक 18/01/2018 को वाद पत्र बहस हेतु रखा हुआ था। लगभग 11 माह वाद पत्र न्यायालय में विचारणीय था। यदि सहवन से हिस्सा लिखा गया था तो वादी को वाद पत्र में संशोधन करवाना चाहिए था। वादी को उस समयाविध में प्रार्थना पत्र पेश कर वाद पत्र में अनुतोष जुडवाना चाहिए था फिर भी यदि प्रार्थी/वादी को अनुतोष अनुसार निर्णय उचित नहीं लगता है तो अपर न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वादी द्वारा वाद पत्र के निर्णय दिनांक 29/01/2018 के वाद लगभग 10 माह बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है साथ में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र देरी के कारण का भी पेश किया है। परन्तु इतने लम्बे समय के बाद प्रार्थना पत्र पेश करना न्यायोचित नहीं है। चूंकि प्रार्थी/वादी ने जो वाद पत्र में अनुतोष चाहा है उसी अनुसार न्यायालय ने निर्णय पारित किया है।

अतः वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31/01/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner